

परिवहन निगम मुख्यालय
लखनऊ

पत्रसंख्या-146 एफए/16-302एफए/11

दिनांक : 20 जनवरी:2016

- 1 प्रधान प्रबन्धक,केंद्रीय कार्यशाला/डा0राम मनोहर लोहिया कार्यशाला,
उ0प्र0परिवहन निगम कानपुर।
- 2 प्रधानाचार्य,प्रशिक्षण संस्थान,
उ0प्र0परिवहन निगम कानपुर।
- 3 समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/सेवा प्रबन्धक,
उ0प्र0परिवहन निगम।
- 4 सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(वित्त)/सहायक क्षेत्रीय लेखाधिकारी,
उ0प्र0परिवहन निगम।
- 5 प्रबन्धक(आहरण-वितरण),
उ0प्र0 परिवहन निगम,
मुख्यालय,लखनऊ।
- 6 प्रबन्ध निदेशक,एलसीटीएसएल,
उ0प्र0 परिवहन निगम लखनऊ।
- 7 प्रबन्धक,कारसेवशन,
उ0प्र0 परिवहन निगम, लखनऊ।
- 8 अधिसांसी अभियन्ता(पूर्व/पश्चिम)
निगम मुख्यालय लखनऊ।

विषय :- सामूहिक बीमा-“स्वयं देखे अपना खाता ONLINE”।

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपका ध्यान इस कार्यालय के प्रेषित परिपत्र सं0-222एफए/14-302एफए/11 दिनांक 08.12.14 की तरफ आकृष्ट करना चाहेगा, जिसके द्वारा मे0 एस0बी0आई0 लाईफ इश्योरंस के माध्यम से निगम के नियमित कर्मिको का सामूहिक बीमा हेतु बीमा योजना “स्वयं गंगा” के अन्तर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही कराये जाने के निर्देश दिये गये थे किन्तु उक्त निर्देशो का पालन आपके अधिनस्थ चुनिश्चित नही कराया जा रहा है जिससे सेवानिवृत्त/मृतक कर्मिको के बीमा क्लेम का भुगतान करने में कठिनाई होती है तथा समय से भुगतान नही हो पाता है।

उक्त के संदर्भ में पुनः निर्देश दिये जाते है कि कृपया अपने स्तर से निम्न बिंदुओं पर कार्यवाही कराना चुनिश्चित करें। मे0 एस0बी0आई0 लाईफ इश्योरंस के माध्यम से अब यह व्यवस्था कर दी गयी है कि आप स्वयं अपने खाते में जमा राशि एवं ब्याज को ONLINE देख सकते है।

इस हेतु आपको निम्नलिखित प्रक्रिया अपनानी होगी :-

1. Log on to "SbiLife.co.in"
2. Click on "SERVICES" in the new window.
3. Select "Swarn Ganga-Track your Account" by clicking on this.
4. अब जो Window खुलेगी वह आपसे निम्न जानकारी चाहेगी।

PF Index No	
Date of Birth	

5. कृपया PF Index No में अपना GI Code भरें तथा Date of Birth में अपनी जन्मतिथि DDMMYY Format में भरें।

6. "SUBMIT" Click करें।

7. आपके समक्ष आपके खाते का विवरण उपलब्ध हो जायेगा।

8. माहवार विवरण के लिये उपरोक्त विवरण में "Staff New SG A/C details-1 पर Click" करें। जी0आई0 कोड की जानकारी सामान्यतः आपकी वेतनपट्टी पर अंकित होती है। अन्यथा आप इसकी जानकारी अपनी इकाई की लेखा शाखा से कर सकते है। कर्मचारियों की जानकारी हेतु इसे आप नोटिस बोर्ड पर भी चरपा कर सकते है।

अतः उपरोक्त की जानकारी कर्मचारी को कराये जाने हेतु अपने कार्यालय/डिपो स्तर पर सूची नोटिस बोर्ड पर चढ़वा कराकर अथवा व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध कराये। जिससे कर्मिको की सही सूचना प्राप्त हो सके। कर्मिको के मूल रिकार्ड में अगर कोई त्रुटि अथवा सुधार की आवश्यकत है तो अभी ही साक्ष्यों सहित अवगत करा दें जिससे कर्मिको की सेवानिवृत्त/मृत्यु पर किसी प्रकार की असमंजस की स्थिति उत्पन्न न हो।

(आलोक कुमार अग्रवाल)

वित्त विभक्तिके

प्रतिलिपि :- प्रधान प्रबन्धक(श्रम कल्याण) को इस आशय से प्रेषित कि अपने स्तर से उक्त जानकारी मान्यता प्राप्त संगठनो को भी करा दे।

(आलोक कुमार अग्रवाल)

वित्त विभक्तिके